

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—97 / 12 (2012 / 00004) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1—बंशीलाल पिता भागीरथ शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—नर्मदाबाई पत्नि भागीरथ शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—डाली पत्नि जमनालाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—शंकर पिता मोतीलाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1—मांगु पिता कुशल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1—बाबु पिता मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2—मोहनी पुत्री मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3—पुष्पा उर्फ काली पुत्री मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4—नन्दु पत्नि मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेश दाहीच -
2. हरिश टेलर -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरुन हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2528 रकबा 0.09 है, प्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 2529 रकबा 0.18 है, भूमि स्थित है। इसी प्रकार विपक्षी के खाते के आराजी संख्या 2530 रकबा 0.33 है, स्थित है। जिसके लिए नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात में विपक्षी की आराजी संख्या 2530 जो आम सड़क से लगी हुई है आराजी संख्या 2530 के उत्तरी हिस्से में से अपनी आराजियात में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से संज, बैल, ट्रैक्टर व पदौल आवागमन करते हैं तथा मौके पर वर्षों से आवागमन का रास्ता छुटा हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। विपक्षी ने अनाधिकृत रास्ते में पत्थर चुन कर दिवार बना दी है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं व प्रार्थीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित हो रहे। अतः निवदेन है कि न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की आराजी संख्या 2530 के उत्तरी कोने पर 12 फीट रास्ते का खुलासा कराया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.07.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी गण की ओर से जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार है विपक्षीगण कभी आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं जब कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजी में है ही नहीं तो बाधा कैसे उत्पन्न कैसे की जाती है। प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता अलग





से मौजूद है जिससे प्रार्थीगण आवागमन करते है। विपक्षीगण की आराजी 2530 की उत्तरी कोने पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा सिविल न्यायालय गंगापुर सुखाधिकार वर्ष 2011 में वादपत्र पेश किया जो विचाराधीन है। विपक्षीगण की आराजी 2530 का पश्चिम भाग सड़क से जुड़ा हुआ है तथा वर्षों पुरानी 8 फीट उंची दीवार बनी हुई है। विपक्षीगण के आवागमन हेतु लोहे की फाटक लगा रखी है। प्रार्थीगण के द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया उसमें उनके द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें आराजी संख्या 2528, 2529 में आवागमन के लिए आराजी संख्या 2527 में 7 फीट जगह रास्ते के उपयोग की बता रखी है जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण का रास्ता आराजी संख्या 2527 में ही स्थित है। आराजी संख्या 2527 के साबिक आराजी नम्बर 1346 सेटेलमेन्ट से पूर्व भागीरथ पिता देवा ब्राह्मण प्रार्थीगण के पिता खातेदार थे उन्होंने रामा गाडरी को विक्रय कर देने से आराजी संख्या 2527 में प्रार्थीगण का आवागमन के रास्ते की भूमि पर खरीददार द्वारा मकान निर्माण कराने से रास्ता बन्द हो गया प्रार्थी खुद की जमीन बेचकर विपक्षीगण की जमीन में रास्ता चाहता है और यही बात प्रार्थीगण ने सिविल कोर्ट में हुए अपने बयान की जिरह में स्वीकार किया। आराजी संख्या 2527 को विक्रय करने के पश्चात् क्रेता द्वारा मकान निर्माण करने से प्रार्थीगण आशाहोली से बागोर जाने वाली सड़क जो आबादी में स्थित है से सरकारी कुई के पास 15 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते से आगे आराजी नम्बर 2523, 2524, 2528, 2518 की पश्चिम पालीयो पर व दक्षिण पालीयो पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है। सिविल कोर्ट गंगापुर में विचाराधीन वाद में कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 27.07.2018 को कमिश्नर महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई उसमें भी प्रार्थीगण की आराजी में जाने का यही रास्ता वैकल्पिक रूप से बताया गया है। इससे जाहिर है कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है। विपक्षीगण को जलील और परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 21.07.2020 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करने पर पुनः रिपोर्ट मंगावाने पर दिनांक 24.08.2020 को प्राप्त हुई प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम आशाहोली की सीमा में आराजी नम्बर 2528 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 2529 रकबा 0.18 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं आराजी नम्बर 2530 रकबा 0.33 है0 विपक्षीगण के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2530 रकबा 0.33 है0 जो आबादी के समीप आम रास्ते से लगी हुई है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी के उत्तर पश्चिम कोने से प्रवेश कर अपनी आराजियात 2528 व 2529 में आना जाना बताया है वर्तमान में रास्ते के किनारे पत्थर की पक्की दीवार बना रखी है बीच लाहे की फाटक लगा रखी है जो पुरानी है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2528 व 2529 के पश्चिम की तरफ आराजी नम्बर 2527 रकबा 0.07 है0 गेमु. आबादी में आवासीय मकान बना हुआ है शेष 3 कृषि भूमिया स्थित है। वर्तमान में प्रार्थीगण के समीप अन्य आराजियात 2523 व 2524 के कृषक आराजी नम्बर 2519 व 2520 की मेड़ पर गली करीब 12 फीट छुटी हुई जिसमे से होकर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार आवागमन कर रहे है। वर्तमान में आवागमन उक्त रास्ते से चालु है। वर्तमान में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2528 व 2529 में आराजी नम्बर 2519 व 2520 के मध्य छुटे हुए 12 फीट के रास्ते से होकर आराजी नम्बर 2523, 2524 की पश्चिमी मेड़ पर आवागमन कर रहे है व अन्य काश्तकार भी इन्ही आराजियात से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के

आराजी नम्बर 2530 रकबा 0.33 है० के उत्तरी मेड़ पर 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहते हैं जिसमें करीब 0.03 है० यानि 300 वर्गमीटर भूमि आती है। ग्राम आशाहोली की आबादी व सड़क के समीप वर्तमान डीएलसी दर 190674 रुपये प्रति बीघा है जिससे प्रस्तावित 0.03 है० भूमि की किमत 26474 रुपये की दुगुनी करने पर 52948 रुपये मुआवजा राशि बनती है। प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से व वैकल्पिक रास्ता को नीली स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2528 व 2529 में वर्तमान में आराजी नम्बर 2519 व 2520 के मध्य स्थित छुटी हुई 12 फीट की गली से होकर आराजी नम्बर 2523 व 2524 की पश्चिमी मेड़ पर होकर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार आवागमन कर रहे हैं उसे नक्शे में नीली स्याही से दर्शाया गया।

प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य बयान किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने जवाब के समर्थन में आरआरटी 2018-19 (1) पेज न. 576, आरआरटी 2017 (1) पेज न. 423, आरआरटी 2016 (1) पेज न. 649 की नजीरे पेज की जो शामिल पत्रावली है और अन्त में प्रार्थना पत्र खारीज कराने का निवदेन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी में पहुँचने हेतु मौके पर कृषि भूमि आराजी नम्बर 2519 एवं 2520 के मध्य तथा आराजी नम्बर 2523 और 2524 जो की कृषि भूमि है कि पश्चिमी मेड़ के सहारे अन्य खातेदारों के साथ आवागमन कर रहे हैं जो मूल रास्ते से काफी लम्बा होकर खातेदारी भूमि में स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यह है कि खातेदार को अपनी भूमि पर पहुँच का नवीन रास्ता न्यूनतम दुरी से उपलब्ध कराया जावे। इस प्रकरण में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में अन्य खातेदारों के साथ आराजी नम्बर 2519, 2520 के मध्य से एवं आराजी संख्या 2523 व 2524 की पश्चिमी मेड़ पर होता हुआ आराजी नम्बर 2528 में पहुँच रहा है जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर खातेदारी भूमि है जिसकी लम्बाई 200 मीटर है जबकि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 2530 में प्रस्तावित रास्ता की दुरी मात्र 40 मीटर है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 2530 से रास्ता चाहा गया है जो रेकार्ड और मौके के अनुसार सही है। इसी बात को लेकर प्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय गंगापूर के यहां भी प्रकरण दर्ज करा रखा है जिसके प्रकरण संख्या 03/2011 दर्ज होकर विचाराधीन है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए प्रभाव में आने से पूर्व का है वर्तमान में खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु इस धारा के तहत न्यूनतम दुरी का रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं जिसमें आरआरटी 2017 (1) पेज न. 423 जो पेश की गई है उसमें प्रार्थी द्वारा जहां पर मकान निर्माण था उस जगह रास्ता चाहा गया था जो उचित नहीं होने से माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा आवेदन खारीज किया गया इसके अतिरिक्त आरआरटी 2018 (1) पेज न. 576 जो नजीर पेश की गई है उसमें अप्रार्थी जहां रास्ता देने को तैयार था वहां नहीं देकर उसी की आराजी में अन्य जगह रास्ता दिया गया था जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज किया गया। इसी के साथ आरआरटी 2016 (1) पेज न. 649 जो नजीर पेश की

गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खसरा नम्बर 82 में रास्ता दर्ज होने के बावजूद खसरा नम्बर 81 में रास्ता दिया गया जिसको खारीज किया गया। उपरोक्त नजीरे इस प्रकरण पर चस्या नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु ग्राम आशाहोली में स्थित आराजी नम्बर 2530 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करते हुए आराजी नम्बर 2528 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक 40 मीटर की लम्बाई एवं 4 मीटर की चौड़ाई में 160 वर्गमीटर भूमि की ग्राम आशाहोली की आबादी व सड़क के समीप वर्तमान डीएलसी दर 190674 रुपये प्रति बीघा है जिससे प्रस्तावित 0.0160 है० यानि 160 वर्गमीटर भूमि की किमत 14124 रुपये की दुगुनी करने पर 28248 रुपये मुआवजा राशि बनती है। जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदारान को करने पर एवं आराजी नम्बर 2529 में आवागमन हेतु इसी रास्ते से होते हुए आराजी नम्बर 2528 में प्रवेश कर आराजी नम्बर 2528 के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे 30 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई में 120 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर अनुसार 12358 रुपये भूमि किमत का दुगुना करने पर 24717 रुपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भुगतान आराजी नम्बर 2529 के खातेदार द्वारा आराजी नम्बर 2528 के खातेदार को करने पर उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sundar Lal Bumboda
20.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-97/12 (2012/00004) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1-बंशीलाल पिता भागीरथ शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-नर्मदाबाई पत्नि भागीरथ शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-डाली पत्नि जमनालाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-शंकर पिता मोतीलाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-मांगु पिता कुशल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1-बाबु पिता मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2-मोहनी पुत्री मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3-पुष्पा उर्फ काली पुत्री मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4-नन्दु पत्नि मांगु (ब्राह्मण) निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु ग्राम आशाहोली में स्थित आराजी नम्बर 2530 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करते हुए आराजी नम्बर 2528 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक 40 मीटर की लम्बाई एवं 4 मीटर की चौड़ाई में 160 वर्गमीटर भूमि की ग्राम आशाहोली की आबादी व सड़क के समीप वर्तमान डीएलसी दर 190674 रुपये प्रति बीघा है जिससे प्रस्तावित 0.0160 है0 यानि 160 वर्गमीटर भूमि की किमत 14124 रुपये की दुगुनी करने पर 28248 रुपये मुआवजा राशि बनती है। जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदारान को करने पर एवं आराजी नम्बर 2529 में आवागमन हेतु इसी रास्ते से होते हुए आराजी नम्बर 2528 में प्रवेश कर आराजी नम्बर 2528 के दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे 30 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई में 120 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर अनुसार 12358 रुपये भूमि किमत का दुगुना करने पर 24717 रुपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भुगतान आराजी नम्बर 2529 के खातेदार द्वारा आराजी नम्बर 2528 के खातेदार को करने पर उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



Sundar Lal Bumboda
20.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा